

PRINCIPAL, R.C.H. PUBLIC SCHOOL
Mission Mahadewa,
Mahadewa O.P.O के निकट
सीवान - 841227
पत्रांक : 2021



Bihar Education Project
Mission, Mahadewa
Near Mahadewa O.P.
Siwan - 841227
Dated: 24/01/2021

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक

आर.सी.एच.पब्लिक स्कूल

टिब्रिया, बरबरिया, सिवान, प्रखंड-बरबरिया

जिला- सीवान।

विषय:-

बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम 5 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय/महाशया,

आपके आवेदन-पत्र दिनांक और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण के आलोक में आपके विद्यालय को कक्षा 1 से 08 तक संचालन हेतु तीन वर्षों 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के लिए औपबधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 1-9 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम- 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली- 2011 (अनुलग्नक- 2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कडिका 3 में उद्धृत बच्चों के मामले में विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जायेगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण पत्र के अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जायेंगे :-
 - I. किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जायेगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
 - II. किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जायेगा।
 - III. किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - IV. प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - V. अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जायेगा।

DPO, (SSA) Siwan
Website - ssasiwan.in

PRINCIPAL
R.C.H. PUBLIC SCHOOL
TRIBHERIYA

शिक्षा का अधिकार

अपने शिक्षा अधिकारों का
आप अपने बच्चे का

Ph No. 06154 242031
Email- ssadlosiwan@gmail.com

MANAGER
R. C. H. PUBLIC SCHOOL
TRIBHERIA, SIWAN

बिहार शिक्षा परियोजना
मिशन महादेवा,
महादेवा ओपीओ के निकट
सीवान- 841227
पत्रांक : 524



Bihar Education Project
Mission, Mahadewa
Near Mahadewa O.P.
Siwan - 841227
Dated: 24/01/2020

- VI. शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्य अनुरूप किया जायेगा, परन्तु यह कि अधिनियम के लागू होने के समय वर्तमान में कार्यरत वैर शिक्षक जो निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं धारित करते हैं वे 5 वर्षों के अन्दर निर्धारित न्यूनतम प्राप्त कर लेंगे।
- VII. शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- VIII. शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
8. विद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्चा का अनुसरण करेगा।
9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छा नामांकन करेगा।
10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मापदण्डों को धरकर रखेगा। विद्यालय के निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत् है :- विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल कुल निर्मित क्षेत्र..... खेल के मैदान का क्षेत्र 50,000 sq. ft. वर्ग कक्षों की कुल संख्या 20 प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष 02 बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय, बालक 03 बालिका 03 पेयजल की सुविधा 24 घंटे मध्याह्न भोजन के लिए रसोई घर बाधारहित पहुँच : शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल-कूद उपकरण/पुस्तकालय 31
11. कोई भी अप्रसवीकृत वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।
12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के होगा।
13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित किसी पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।
14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं होगा।
15. लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित निम्न आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष जिला अधीक्षक को भेजी जायेगी।
16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रसवीकृति कोड संख्या- RTE/SWN/2019-20/ 00253 कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाये।
17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा अधीक्षक के द्वारा समय-समय पर माँग किए गए प्रतिवर्ष सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रसवीकृति की सूचना लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चित हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।
18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जायेगा।
19. अनुलग्नक III के रूप में संलग्न अन्य शर्तें।

PRINCIPAL
R.C.H. PUBLIC SCHOOL
TRIBHERIYA

विश्वासपूर्ण

(दिलीप कुमार मिश्र)

जिला तालीम अधिकारी

प्रा०शि० एवं स० शिक्षा विभाग, सीवान

शिक्षा एवं आधिकार

अथ शिक्षा अनुविभाग

सका पद संकाय

Email: ssasiwan@gmail.com

MANAGER

R.C.H. PUBLIC SCHOOL
TRIBHERIYA, SIWAN

DPO, (SSA) Siwan
Website - ssasiwan.in

PRINCIPAL
R.C.H. PUBLIC SCHOOL
TRIBHERIYA